# स्थानीय राजपत्र

खण्डः१ संख्याः ३ मितिः २०७९/११/११

**भाग-१**

**तुम्बेवा गाउँपालिका, पाँचथरद्वारा प्रकाशित**


# तुम्बेवा गाउँपालिका, पाँचथरको संशोधित आर्थिक ऐन, २०७९

**गाउँ सभाबाट स्वीकृत मितिः २०७९/११/११**

आज्ञाले,

मणिराम खतिवडा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# तुम्बेवा गाउँपालिका, पाँचथरको संशोधित आर्थिक ऐन, २०७९

गाउँ सभाबाट स्वीकृत मितिः२०७९/११/११

## तुम्बेवा गाँउपालिका
## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मौवा, पाँचथर

प्रदेश नं. १, नेपाल

# तुम्बेवा गाउँपालिका, पाँचथरको संशोधित आर्थिक ऐन, २०७९

प्रस्तावनाः तुम्बेवा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम तुम्बेवा गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०७९" रहेको छ।

(२) यो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गतेदेखि तुम्बेवा गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ।

२. **सम्पति करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

३. **भूमि कर (मालपोत):** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

४. **घर वहाल करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ।

५. **व्यवसाय करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

७. **सवारी साधन करः**गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

८. **विज्ञापन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

९. **मनोरन्जन कर**ः गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

१०.**बहाल बिटौरी शुल्क**ः गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

११.**पार्किङ शुल्क**ः गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१२.**ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्ग शुल्क**ः गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र  र्याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवारत अनुसूचि (११) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१३.**सेवा शुल्क, दस्तुर**ः गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि (१२) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१४.**पर्यटनशुल्क**ःगाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुवाट अनुसूची (१३) मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन  स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

१५.छुट शुल्क, दस्तुर अनूसुची १४ बमोजिम असुल उपर गरिनेछ।

१६.**कर छुट**ःयस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन।

१७. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि**ःयो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ।

**आ.व. २०७९/०८० बाट लागू हुने गरी तुम्बेवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र देहाय अनुसारको सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगाउन उपयुक्त देखिन्छ।**

| **अनुसूची-१** | |
|---|---|
| १ | **एकीकृत सम्पत्ति कर :**<br><br>गाउँपालिका क्षेत्र भित्र वार्षिक आम्दानीको रकम वा मात्रा अनुसार एकीकृत सम्पति कर लगाईनेछ। यस सम्वन्धमा आवश्यक गृहकार्य यसै आर्थिक वर्ष देखि प्रारम्भ गरी नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने। |

| अनुसूची-२ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | भुमि कर (मालपोत)<br><br>वडा नं १र २ प्रति रोपनी रु २<br><br>वडा नं ३ र ४ प्रति रोपनी रु ४<br><br>वडा नं ५ प्रति रोपनी रु ३ | ऐलानी जग्गामा भएका प्रति 3/ (बहाल बिटयौरी कर | रु १५०० | | |

| **अनुसूची-३** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | **घर वहाल करः**<br><br>गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिवा संस्थाले भवन, घर,पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आँशिक तवरले बहालमा दिएको मावहालमा दिइएको कुल रकमको १० प्रतिशत वहालकर लिन उपयुक्त हुने। | | | | |
| २ | धुरी कर | बजारमाआर.सि.सि घर | प्रतितला रु ५०० बार्षिक | | |
| | | गाउँमाआर.सि.सि घर | प्रतितला रु ३०० बार्षिक | | |
| | | बजारमाजस्ताले छाएको पक्कि | रु ३०० बार्षिक | | |
| | | गाउँमाजस्ताले छाएको पक्कि | रु १०० बार्षिक | | |
| | | बजारमा साधारण चिम + टिनको छाना भए | रु १०० बार्षिक | | |
| | | गाउँमा साधारण अन्य (कच्चि) | रु १०० बार्षिक | | |

| अनुसूची-४ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **व्यवसाय कर (वार्षिक)** | | | | |
| क.स. | बिवरण/ व्यवसायको बर्ग(लगानीका आधारमा) | दर्ता | नबिकरण | कै. |
| १ | **"क" वर्ग २० लाख भन्दा बढी लगानी भएको** (हार्डवेयर, स्टोर, सप्लायर्स,सुनचादी पसल, होटल, मेडिकलहल, मनिट्रान्सफर, डेरी, प्राइभेट हस्पिटल, फेन्सी, इलेक्ट्रोनिक्स, पशुपालन/कृषि फर्म अन्य ........) | ५०००/- | २५००/- | |
| २ | **"ख" वर्ग १० लाख देखि २०लाख सम्म लगानी भएको** (हार्डवेयर, स्टोर, सप्लायर्स,सुनचादी पसल, होटल, मनिट्रान्सफर, मेडिकलहल, साना डेरी, स्टेसनरी, इलेक्ट्रोनिक्स, पशुपालन/कृषि फर्म, फ्रेस हाउस, कस्मेटिक, फेन्सी, भाडा पसल, किराना पसल,टेलरिङ, अन्य ........) | २०००/- | १०००/- | |
| ३ | **"ग" वर्ग १ लाख देखि १० लाख सम्म लगानी भएको** (सप्लायर्स,सुनचादी पसल, होटल, स्टेसनरी, मनिट्रान्सफर, मेडिकलहल, मोबाइल जोन, कम्युनिकेशन, भेराइटिज, खाजाघर, फ्रेस हाउस, कस्मेटिक, फेन्सी, किराना पसल,टेलर्स, अन्य ........) | १०००/- | ५००/- | |
| ४ | **"घ" वर्ग १ लाख भन्दा तल (मुनि) लगानी भएको** (खाजाघर, फ्रेस हाउस, चिया पसल, चटपटे पसल, टेलर्स, अन्य ........) | ३००/- | १५०/- | |
| % | फर्निचर दर्ता<br>१. ठुलो लगानी भएको, चिरानी मेसिन भएको (बिस लाख भन्दा बढी)<br>२. सानो लगानी भएको (बिस लाख भन्दा कम लगानीको) | १०,०००/-<br>५,०००/- | ५,०००/-<br>२,५००/- | |
| ६. | सहकारी दर्ता | रु.२५०० /- | रु.१५०० /- | |
| ७ | संस्थादर्ता<br>१. कार्य क्षेत्र र आम्दानी क्षेत्र ठुलो भएको<br>२. कार्य क्षेत्र र आम्दानी क्षेत्र सानो भएको | रु.५००० /-<br>रु.२००० /- | रु.२५०० /-<br>रु.१००० /- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ८ | NGO, INGO दर्ता | रु.५००० /- | रु.२५०० /- | |
| ९ | टोल विकास दर्ता | रु. ५००/- | रु.२५० /- | |
| १० | कृषक समुह | रु. ५००/- | रु.२५० /- | |
| ११ | उधोग | रु.५०००/- | रु.२५०० /- | |
| १३ | साना उधोग | रु.१०००/- | रु. ५००/- | |
| **घ बर्गको निर्माण व्यवसाय (इजाजत पत्र)** | | | | |
| १ | इजाजत पत्र दस्तुर | रु.१५०००/- | | |
| २ | इजाजत पत्र नबिकरण दस्तुर | रु.५,०००/- | | |
| ३ | कारोबार थप दस्तुर | रु.५,०००/- | | |
| ४ | इजाजत पत्र प्रतिलिपि दस्तुर | रु.२,०००/- | | |
| ५ | नाम र ठेगाना परिवर्तन दस्तुर | रु. १,०००/- | | |

## अनुसूचि -५

## पछि निर्धारण गरिनेछ ।

## अनुसूचि - ६

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | सवारी साधन कर | सबै गाडिहरुलाई | रु | | |

## अनुसूचि -७

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | विज्ञापन कर | पर्खाल/बार/भित्तामा पोतिएको | रु.२०० | | |
| | | सार्वजनि स्थलमा साइनवोर्ड राखिएको | रु५०० | | |
| | | पोल/व्यानर | रु५०० | | |
| | | गाडिमा गरिने विज्ञापन | रु५०० | | |

## अनुसूचि -८

| | | |
|---|---|---|
| १ | मनोरञ्जन कर | जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट अनुमति वा स्विकृति लिइ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्ज नात्मक कार्यक्रम, पर्व, मेला , महोत्सव सञ्चालन गरे वापत प्रति कार्यक्रम एकमुष्ठ रु ५००० मनोरञ्जन वापतको कर आयोजक सँग लिन उपयुक्त रहुने । |

## अनुसूचि-९

**पछि निर्धारण गरिनेछ ।**

## अनुसूचि-१०

**पछि निर्धारण गरिनेछ ।**

## अनुसूचि- ११

| प्राकृतिक स्रोत साधन | | | |
|---|---|---|---|
| **क.स.** | **बिवरण** | **दर / रेट** | **कैफियत** |
| १ | बालुवा | ट्याक्टर रु.५०० आन्तरिक र रु.७०० बाह्य<br>टिपर रु.१५०० आन्तरिक र रु.२००० बाह्य | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २ | ढुङ्गा | ट्याक्टर रु.१५० आन्तरिक र रु.२०० बाह्य<br><br>टिपर रु.५०० आन्तरिक र रु. ६०० बाह्य | |
| ३ | मेसिन सुचिकृत | रु. ५००० - १०० HP सम्मको जेसिवि<br><br>रु.८०००- १०० HP भन्दा माथिको जेसिवि | |

## अनुसूचि-१२

### सेवाशुल्कतथा दस्तुर (प्रमाणित/सिफारिस/दर्ता शुल्क)

| क.सं | प्रमाणित | विस्तृत विवरण | दर | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | नाता प्रमाणित | जिवितसँग | रु ३०० | | |
| | | मृतकसँग ३५ दिन पछी | रु १०० | | |
| २ | जन्ममिति प्रमाणित | | रु ३०० | | |
| ३ | विवाहित तथा अविवाहित प्रमाणित | | रु ३०० | | |
| ४. | घर पातल प्रमाणित | | रु ५०० | | |
| ५ | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित | | रु ५०० | | |
| ६ | एकासंगोल परिवार प्रमाणित | | रु ३०० | | |
| ७ | कागजात तथा मञ्जुरीनामा प्रमाणित | | रु ३०० | | |
| ८ | संरक्षण प्रमाणित गर्ने व्यक्तिगत | | रु. २०० | | |
| ९ | हकवाला र हकदार प्रमाणित गर्ने | | रु ५०० | | |
| १० | जग्गा/सम्पत्ति मुल्याङ्कन सिफारिस प्रमाणित गर्ने | ५ लाख सम्म<br><br>५ लाखमाथि | रु ५००<br><br>रु १००० | | |
| ११ | विपन्नता प्रमाणित गर्ने | | नि:शुल्क | | |
| १२ | सम्पन्नता प्रमाणित गर्ने | | रु १००० | | |
| १३ | घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणित गर्ने | आर.सि.सिप्रतितला | रु. १००० | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जस्ताले छाएको पक्कि | रु ३०० | | |
| | | अन्यकच्चि | रु १०० | | |
| १४ | दलित अल्पसङ्ख्यक तथा जनजाति प्रमाणित | | रु. २०० | | |
| १५ | चारकिल्ला प्रमाणित | | रु ३०० | | |
| १६ | बार्षिक आय प्रमाणित | | जम्मा आयको ०.२५ प्रतिशत | | |
| १७ | ज्येष्ठ नागरिक/एकल महिला प्रमाणित | | रु १०० | | |
| १८ | सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणित | | रु १००० | | |
| १९ | माथि उल्लिखित बाहेकका अन्य प्रमाणित गर्न | | रु ३०० | | |

- माथि उल्लिखित प्रमाणित कागजात अंग्रेजी भाषामा उपलव्ध गराउने परे सुरु दस्तुरको दोव्वर लाग्ने ।
- वडाबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा गाउँपालिकाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजातमा पुनः दस्तुर नलाग्ने ।
- माथि उल्लीखित प्रमाणित कागजात हराई वा नष्ट भइ सो को प्रतिलिपि लिन आउँदा पुनः सुरु दस्तुर लगाउन उपयुक्त हुने ।

| **क.सं** | **सिफारिस** | **विस्तृत विवरण** | **दर** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | नागरिकता (बंशज) | | रु. १०० | | |
| २ | नागरिकता (अंगिकृत) | | रु. १००० | | |
| ३. | नागरिकता प्रतिलिपिका लागि सिफारिस | | रु. ५०० | | |
| ४ | नागरिकता संशोधन सिफारिस | | रु ३०० | | |
| ५ | वहालकरको लेखाजोखा सिफारिस | | रु ५०० | | |
| ६. | व्यपार व्यवसाय वन्द भएको/सञ्चालन नभएको सिफारिस | | रु. १०० | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ७ | मिलापत्रकागज गराउने निवेदनदर्ता गर्न सिफारिस गर्ने | | रु ५०० | | |
| ८ | स्वास्थ्यउपचारको सिफारिस | | नि:शुल्क | | |
| ९ | पुर्जामा घर कायम गर्न सिफारिस गर्ने | | रु ५०० | | |
| १० | नाम थर जन्ममिति संशोधनका लागि सिफारिस गर्ने | | रु ३०० | | |
| ११ | दुवै नामवा थर गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस | | रु ३०० | | |
| १२ | जग्गाधनिपुर्जा हराएको सिफारिस<br>(आगलागी अन्य बिपदमा नि:शुल्क) | | रु. ५०० | | |
| १३ | कित्ताकाट गर्न सिफारिस | | रु.५०० | | |
| १४ | संरक्षक सिफारिस गर्ने (व्यक्तिगत) | | रु २०० | | |
| १५ | संरक्षक सिफारिस गर्ने (संस्थागत) | | रु ५०० | | |
| १६ | जग्गा नामसारी गर्न सिफारिस | महिला को नाउँमा नामसारी गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिने | ५०० | | |
| १७ | जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस | | रु ५०० | | |
| १८ | सर्जमिनसिफारिस गर्ने | | रु ५०० | | |
| २९ | उद्योग ठाँउसारी गर्न सिफारिस गर्ने | | रु १००० | | |
| २० | जीवित रहेको सिफारिस गर्ने | | रु ३०० | | |
| २१ | विद्यालय कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने | संस्थागत | रु ५००० | | |
| | | सामुदायिक | रु १००० | | |
| २३ | विद्यालयखोल्ने सिफारिस र अनुमति दिने | संस्थागत | रु. १०००० | | |
| | | सामुदायिक | रु. ५००० | | |
| २४ | पालणपोषणका लागि सिफारिस गर्ने | | नि:शुल्क | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| २५ | धारा तथाविद्युत जडानका लागि सिफारिस | महिलाको नाममा रहेको घरमा २५ प्रतिशत छुट दिने | रु २०० | | |
| २६ | विद्यालय ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने | | रु ५००० | | |
| २७ | पेन्सनपट्टा सम्बन्धि सिफारिस | नेपालमा सेवारत | रु. १००० | | |
| | | भारतमा | रु. २००० | | |
| | | अन्यमुलुकमा सेवारत | रु ४००० | | |
| २८ | दलित, अल्पसङख्यक तथा जनजाति सिफारिस | | रु. ३०० | | |
| २९ | घर कायम सिफारिस | | रु. ५०० | | |
| ३० | विपन्न/असाहय छात्रबृत्ति सिफारिस | | रु. १०० | | |
| ३१ | छात्रबृत्तिसिफारिस | | रु ३०० | | |
| ३२ | अपांगताभएको सिफारिस | | नि:शुल्क | | |
| ३३ | अस्थायीतथा स्थायी बसोवास सिफारिस | | रु. ३०० | | |
| ३४ | कोर्ट फिमिनाहा सिफारिस | | नि:शुल्क | | |
| ३५ | नावालक परिचयपत्रसिफारिस | | रु २०० | | |
| ३६ | सरकारी कार्यालयहरुलाई सिफारिस | | नि:शुल्क | | |
| ३७ | संस्थादर्ता सिफारिस | | रु ५०० | | |
| ३८ | गैर सरकारी संस्थादर्ता सिफारिस | | रु १००० | | |
| ३९ | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थादर्ता सिफारिस | | रु ५००० | | |
| ४० | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस | | रु ५०० | | |
| ४१ | कोठा खोल्ने कार्यमा रोहवरमा बस्ने सिफारिस | | रु ५०० | | |
| ४२ | जग्गा/धितो मुल्याङ्कन सिफारिस | (प्रतिवर्ग फिट) | रु.४ | | |
| ४३ | अपुतालि सिफारिस | | रु २००० | | |
| ४४ | घर नक्सापास दस्तुर | आर.सि.सि.(प्रतिवर्ग फिट) | रु ६ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जस्ताले छाएको पक्कि | रु४ | | |
| | | अन्य | रु २ | | |
| ४५ | निजी रुख कटान सिफारिस | सरकारले निकासी पैठारीमा रोक लगाएवाहेकका अन्य<br>सल्ला,चिलाउने<br>उत्तिस<br>खयर(प्रतिगोटा.) | रु १००प्रति गोटा<br>रु ५०<br>रु ४०० | | |
| ४६ | माथि उल्लीखित बाहेकका अन्य सिफारिसका लागि | अँग्रजी माध्यममा प्रमाणित तथा सिफारिस | रु ५०० | | |

- माथि उल्लिखित सिफारिस सम्बन्धि कागजात अंग्रेजी भाषामा उपलव्ध गराउनु परे सुरु दस्तुरको दोव्वर लाग्ने ।
- वडाबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा गाउँपालिकाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजातमा पुनः दस्तुर नलाग्ने ।
- माथि उल्लीखित सिफारिस सम्बन्धि कागजात हराई वा नष्ट भइ सो को प्रतिलिपि लिन आउँदा पुनः सुरु दस्तुर लगाउने ।

| **क्र.सं** | **दर्ता** | **विस्तृत विवरण** | **दर** | |
|---|---|---|---|---|
| १ | घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, वसाईंसराइ, सम्बन्ध विच्छेद र विवाह) | ३५ दिन भित्र दर्ता भएनिःशुल्क अन्यथा<br>हराएको प्रतिलिपी | रु २००<br>रु ५०० | |
| २ | उजुरी दर्ता तथा मुद्धा दस्तुर | | रु. १०० | |

## सेवा । संस्था

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | सञ्चार | एफ.एम.प्रशारण<br>अनलाईन एफ.एम. | रु ५०००<br>रु १००० | | |
| | | केवुलच्यानलप्रशारण | रु ५००० | | |
| | | पत्रपत्रिका प्रकाशन सेवा | रु ५००० | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनलाईन पत्रिका | रु ५०० | | |
| | | साइवर क्याफे, पि.सि.ओ | रु २००० | | |
| २ | बैङ्कतथावित्तिय संस्था | वाणिज्य बैङ्क प्रति शाखा | ५००० | | |
| | | विकास बैङ्क प्रति शाखा | २००० | | |
| | | फाइनान्स कम्पनि प्रतिशाखा | २००० | | |
| | | विमा कम्पनी | १००० | | |
| | | लघु वित्त | १००० | | |
| ३ | स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय | निजि अस्पताल तथा नर्सिङ होम | | | |
| | | क्लिनिक तथा ल्याव | रु २००० | | |
| | | चस्मा पसल | रु २००० | | |
| ४ | शिक्षा सेवानिजी | क्याम्पस | | | |
| | | माध्यमिक विद्यालय | | | |
| | | आधारभुत | ५००० | | |
| | | छात्र/छात्रावास | | | |
| | | पूर्व प्राथमिक विद्यालय | रु २००० | | |
| | | मन्टेश्वरी | रु १००० | | |
| | | ट्युसन सेन्टर | रु १००० | | |

# निकासी कर

| सि.नं. | विवरण | दर |
|---|---|---|
| १ | गोरु प्रति गोटा | |
| २ | गाई प्रति गोटा | |
| ३ | भैंसी प्रति गोटा | |
| ४ | राँगा प्रति गोटा | |
| ५ | बँगुर पाठा प्रति गोटा | |
| ६ | बँगुर प्रति गोटा | |
| ७ | खसी प्रति गोटा | |
| ८ | बाखा प्रति गोटा | |
| ९ | बोका | |
| १० | बालुवाप्रति ट्याक्टर<br>गीटि प्रति ट्याक्टर<br>ढुङ्गा प्रति ट्याक्टर | रु ५००<br>रु ७००<br>रु ५०० |

# निकासी कर

| | | |
|---|---|---|
| १ | ➢ गोलिया/फेन्टा (उतिस) (क) ट्रक<br>(ख) ट्याक्टर<br>➢ गोलिया/फेन्टा (सल्लो) (क) ट्रक<br>(ख) ट्याक्टर<br>➢ गोलिया/फेन्टा (अन्य काठ खयर बाहेक) (क) ट्रक<br>(ख) ट्याक्टर<br>➢ खोटो प्रति KG | रु १२००<br>रु ४००<br>रु १५००<br>रु ५००<br>रु १२००<br>रु ४००<br>रु. १ |
| २ | अदुवा (क) पिक अप<br>(ख) ट्याक्टर<br>(ग) ट्रक | रु ३००<br>रु ८००<br>रु २००० |

| | | |
|---|---|---|
| ३ | अम्लिसो (क) पिक अप<br>(ख) ट्याक्टर<br>(ग) ट्रक | रु ३००<br>रु ८००<br>रु. २००० |
| ४ | अँलैची (क) पिक अप<br>(ख) ट्याक्टर<br>(ग) ट्रक | रु १०००<br>रु १५००<br>रु २५०० |
| ५ | सुन्तला (क) पिक अप<br>(ख) ट्याक्टर<br>(ग) ट्रक | रु ५०० |
| ४ | चिराइतो (क) पिक अप<br>(ख) ट्याक्टर<br>(ग) ट्रक | |

## हाटकर विक्री कर

| | | |
|---|---|---|
| १ | बंगुर पाठा प्रतिगोटा | |
| २ | खसि प्रतिगोटा | |
| ३ | बोका प्रतिगोटा | |
| ४ | बाखा प्रति गोटा | |
| ५ | बँगुर मासु पसल | |
| ६ | राँगामासु पसल | |
| ७ | खसि मासु पसल | |
| ८ | तयारी कपडा पसल | |
| ९ | सुर्तिजन्य पसल | |
| १० | मदिरा जन्य जाँड रक्सी | |
| ११ | जुत्ता चप्पल | |

| | | |
|---|---|---|
| १२ | फलफुल पसल | |
| १३ | चिया रोटी पसल | |
| १४ | विविध | |

# अनूसुचि: १३

| दण्ड जारिवाना | | | |
|---|---|---|---|
| क्र.स. | विवरण | दर/रेट | कैफियत |
| १ | गाउँपालिकामा बुझाउनु पर्ने बक्यौता कर रकम | कर रकमको २० प्रतिशत | |
| २ | व्यवसाय कर विगत बर्षहरुको बक्यौतमा तिर्न | रकमको २० प्रतिशत | |
| ३ | बाँकी भएमा बक्यौत रकम | रकमको २० प्रतिशत | |
| ४ | नविकरण गर्न समयमा नआएमा | २० प्रतिशत | |
| ५ | अनुमति बिना खानीजन्य ढुङ्गा उत्खनन् गरेमा | रकममा १५ प्रतिशत | |
| ६ | नदीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा चोरी निकासी गरेमा | १००० देखि २५०० सम्म | |
| ७ | बिना अनुमती मेशिनरी औजार तथा स्काभेटर जेसिभि सार्वजानिक जग्गामा प्रयोग गरेमा | रजिस्टर गरेकोको डबल दस्तुर | |
| ८ | बिना अनुअमती मेशिनरी औजार तथा स्काभेटर जेसभि व्यक्तिगत जग्गामा प्रयोग गरेमा | रजिस्टर गरेकोको डबल दस्तुर | |

अनूसुची-१४

थप राजस्व दस्तुर

| सि.न. | विवरण | रकम |
|---|---|---|
| १ | शिक्षक सरुवा सिफारिस दस्तुर | रु.२०००/- |
| २ | शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रतिलिपि दस्तुर | रु. ५००/- |
| ३ | सहकारी जरिवाना | प्रकृति हेरी गाउँ कार्यापलिकाको निर्णयबाट निर्धारण गरिनेछ । |
| ४ | न्यायीक समिति निवेदन दर्ता | रु ५०/- |
| ५ | न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराए वापत | रु ५००/- |

पुनश्चः माथि उल्लेख नभएका राजस्व शीर्षकहरु पछि गाउँकार्यपालिकाको निर्णयले निर्धारण गरि गाउँसभामा पेश गरि अनुमोदन गर्नेछ ।